प्रकरण संख्या–01/2018 तारीख रजु–08.01.2018

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी अभिमन्यु कुमार आई.ए.एस.

उनवान

रामहरी गुर्जर पुत्र श्री शिम्भुराम गुर्जर उम्र लगभग 59 वर्ष, निवासी ग्राम पंचायत कटारा अजीज, तहसील टोड़ाभीम, जिला करौली (राजस्थान) – अपीलार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी, करौली – प्रत्यर्थी

अपील अतंर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 एवम् जिला रसद अधिकारी, करौली द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.12.2016 एवं न्यायालय अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.12.2017 के अंतर्गत।

निर्णय

दिनांक–17.12.2018

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा यह अपील पेश कर निवेदन किया है कि अपीलकर्ता ग्राम पंचायत कटारा अजीज के 1/3 भाग, तहसील टोड़ाभीम जिला करौली के उचित मूल्य दुकान का अधिकृत डीलर है जिसका प्राधिकार पत्र संख्या 178/1981 है एवम् प्रार्थी द्वारा बिना किसी शिकायत के ईमानदारी से उचित मूल्य सामग्री का वितरण किया जाता रहा है। प्रवर्तन अधिकारी, सपोटरा द्वारा दिनांक 28.11.2016 को अपीलार्थी की दुकान की जांच की गई जिसकी रिपोर्ट प्रवर्तन अधिकारी ने जिला रसद अधिकारी करौली के समक्ष प्रस्तुत की जिसमें आरोपित किया कि अपीलार्थी द्वारा एक ही आधार कार्ड से अवैध ट्रांजेक्शन कर 9.05 क्विंटल गेंहूँ, 124 लीटर करोसीन एवं 2½ किलो चीनी का दुरूपयोग किये जाने बाबत् आरोप लगाया गया है। तदुपरान्त जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा दिनांक 30.11.2016 को प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को निलम्बित कर प्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जिसके जवाब हेतु आगामी तारीख पेशी दिनांक 14.12.2016 निर्धारित की गई। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 14.12.2016 को कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया जो कि जिला रसद अधिकारी, करौली द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब को रिकॉर्ड पर नहीं लिया वरन् अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही अपने आदेश दिनांक 14.12.2016 के द्वारा अपीलार्थी को मेजर पेनल्टी का दण्ड देते हुए प्राधिकार पत्र को निरस्त कर दिया। प्रार्थी द्वारा आदेश दिनांक 14.12.2016 को जरिये रिवीजन याचिका न्यायालय अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान के समक्ष चुनौती दी गई जो माननीय न्यायालय अतिरिक्त खाद्य आयुक्त राजस्थान जयपुर द्वारा अपने आदेश दिनांक 13.12.2017 द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिवीजन याचिका को निस्तारित करते हुए यह आदेश पारित किया कि प्रार्थी अपीलीय प्रावधानों के तहत सक्षम स्तर पर अपील प्रस्तुत करे। जिला रसद अधिकारी करौली के निर्देशानुसार प्रवर्तन निरीक्षक टोड़ाभीम श्री बालकृष्ण वैश्य द्वारा अपीलार्थी के

जिला कलक्टर
करौली

विरुद्ध पुलिस थाना बालघाट में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 250/2016 दर्ज करवायी गयी जिसमें अनुसंधान अधिकारी द्वारा अनुसंधान किया जाकर दिनांक 29.11.2017 को नेगेटिव फाईनल रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें प्रार्थी के विरुद्ध धारा 3/7, 3/8 आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप बनना नहीं पाया गया। विवादित आदेश दिनांक 14.12.2016 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियम आदेश, 1976 के प्रावधानों के विपरीत एव विधि विरुद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। प्रवर्तन निरीक्षक, टोड़ाभीम द्वारा दिनांक 28.11.2016 को प्रार्थी की दुकान की जांच की गई जिसमें पोश मशीन के ट्रांजेक्शन के अनुसार एक ही आधार कार्ड से ट्रांजेक्शन कर 9.05 क्विंटल गेंहूँ, 124 लीटर केरोसीन व 2.5 किलो चीनी के अवैध ट्रांजेक्शन कर दुरूपयोग करने का आरोप लगाया गया है जबकि यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी द्वारा ना तो कोई कालाबाजारी की है एवं ना ही रसद सामग्री का दुरुपयोग किया है। यहां यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि विभाग द्वारा माह अप्रेल से पोश मशीन द्वारा रसद सामग्री के वितरण हेतु दिशा निर्देश दिये गये हैं जिसके अनुसार उपभोक्ता का आधार कार्ड एवं अंगूठे के मिलान करने पर मशीन द्वारा उपभोक्ता को रसद सामग्री उपलब्ध करायी जाती है लेकिन उपभोक्ता पखवाडे के दौरान ज्यादातर उपभोक्ता रसद सामग्री लेते समय आधार कार्ड लेकर नहीं आते हैं एवं केवल मात्र राशन कार्ड लेकर आते हैं। ऐसी स्थिति में भीड़ होने के कारण अपीलार्थी द्वारा माह अगस्त में उपभोक्ता पखवाडे के दौरान एक ही आधार कार्ड से उपभोक्ताओं को रसद सामग्री का वितरण कर दिया गया जिसमें अपीलार्थी की कोई बदनियति नहीं थी एवम् केवल मात्र अपीलार्थी को तकनीकी समझ नहीं होने के कारण सद्भाविक रूप से भीड़ को नियंत्रण में करने के कारण ऐसे उपभोक्ताओं को जिनके पास आधार कार्ड नहीं था उनको एक ही आधार कार्ड से रसद सामग्री दे दी गई एवम् रसद सामग्री का इन्द्राज उपभोक्ताओं के राशन कार्ड में कर दिया गया जिसमें अपीलार्थी को बदनियति नहीं मानी जा सकती। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि विभागीय निर्देशानुसार प्रार्थी को पोश मशीन का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए था लेकिन विभाग द्वारा प्रार्थी को इस बाबत् कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया एवं प्रार्थी को पूर्ण रूप से तकनीकी समझ नहीं होने के कारण उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ताओं को रसद सामग्री का वितरण किया जिसका इन्द्राज प्रार्थी द्वारा राशनकार्ड में कर दिया गया इस प्रकार प्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार से न तो कालाबाजारी की गई और ना ही रसद सामग्री का दुरूपयोग किया एवं पुलिस द्वारा अनुसंधान में भी प्रार्थी के विरुद्ध रसद सामग्री के दुरूपयोग को प्रमाणित नहीं मानते हुए नेगेटिव फाईनल रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अतः विवादित आदेश दिनांक 14.12.2016 निरस्त किये जाने योग्य है। जिला रसद अधिकारी, करौली द्वारा विवादित आदेश दिनांक 14.12.2016 से पूर्व प्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया एवम् ना ही प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब को रिकार्ड पर लिया गया। राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तु अधिनियम विनियमन आदेश 1976 की धारा 8(2) में यह उल्लेखित है कि No order of cancellation shall be made under this order unless the authorisation holder has been given a reasonable opportunity of stating his case against the proposed cancellation but during the

जिला कलक्टर
करौली

pendency or in contemplation of proceedings of cancellation of authorization, the authorisation can be supended for a period not exceeding 90 days without giving any opportunity to the authorization holder of staring his case. अर्थात् राजस्थान खाद्यान्न एवम् अन्य आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राधिकार पत्र को निरस्त किये जाने से पूर्व प्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना आवश्यक है परंतु उक्त प्रकरण में जिला रसद अधिकारी, करौली द्वारा इकतरफा आदेश पारित किया है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के वितरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी के ऊपर लगाये गये सभी आरोप संभावनाओं पर आधारित हैं जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जब तक किसी ठोस एवम् पर्याप्त तथ्यों द्वारा किसी आरोप की पुष्टि नहीं हो जाती है तब तक उक्त आरोपों को सिद्ध नहीं माना जा सकता जबकि उक्त प्रकरण में जांचकर्ता द्वारा किसी भी उपभोक्ता के कोई बयान नहीं लिये हैं एवम् ना ही उपभोक्ताओं से पूछताछ की गई है। ऐसी स्थिति में कानूनी दृष्टि से उक्त आरोपों को सिद्ध नही माना जा सकता। यहां यह उल्लेखनीय है कि जिला रसद अधिकारी करौली के निर्देशानुसार प्रवर्तन निरीक्षक टोड़ाभीम द्वारा इन्हीं तथ्यों के आधार पर प्रार्थी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी जिसमें अनुसंधान अधिकारी द्वारा अनुसंधान किया जाकर दिनांक 29.11.2017 को नेगेटिव फाईनल रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें डीलर के विरुद्ध किसी प्रकार की कालाबाजारी किया जाना प्रमाणित नहीं पाया गया। अतः जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा पारित विवादित आदेश दिनांक 14.12.2016 निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 10.08.2016 से 31.08.2016 तक उपभोक्ता पखवाडे के दौरान पोश मशीन द्वारा रसद सामग्री का वितरण किया है एवम् कुछ उपभोक्ताओं द्वारा आधार कार्ड नहीं लाये जाने के कारण प्रार्थी द्वारा सद्भाविक रूप से उपभोक्ताओं को रसद सामग्री का वितरण कर दिया गया एवम् उनके राशन कार्डों में वितरण का इन्द्राज कर दिया गया। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अनुसंधान अधिकारी पुलिस थाना बालघाट द्वारा दिनांक 29.11.2017 को नेगेटिव फाईनल रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध कोई कालाबाजारी या गबन का आरोप प्रमाणित नहीं माना है। खाद्य एवम् नागरिक आपूर्ति विभाग राज. सरकार द्वारा दिनांक 25.03.1994 को परिपत्र जारी किया गया जिसमें समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान को निर्देशित किया कि तकनीकी कमियों के आधार पर व्यापारियों के विरुद्ध मुकदमे नहीं बनाये जायें। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि उक्त परिपत्र जारी करने के पीछे सरकार की यह मन्शा रही है कि अनावश्यक रूप से उचित मूल्य दुकानदारों के विरुद्ध तकनीकी एवम् छोटी–मोटी गलती के आधार पर प्रकरण दर्ज नहीं किया जावे। उक्त प्रकरण में भी प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई गबन एवम् कालाबाजारी नहीं की गई अपितु सद्भाविक रूप से उपभोक्ताओं को एक ही आधार कार्ड से रसद सामग्री का वितरण कर दिया गया जिसका इन्द्राज उपभोक्ताओं के राशन कार्ड में किया गया जो कि केवल मात्र तकनीकी अनियमितता कही जा सकती है। उक्त समस्त तथ्यों को जिला रसद अधिकारी, करौली द्वारा कन्सीडर नहीं कर अहम कानूनी भूल की है। जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा विवादित आदेश पारित करने से पूर्व व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया एवम् बिना किसी स्पष्ट

जिला कलक्टर
करौली

साक्ष्य/निष्कर्ष के काल्पनिक आधार पर कालाबाज़ारी का आरोप मानते हुए प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को निरस्त किया है। प्रार्थी का एकमात्र रोजगार यह दुकान है। प्रार्थी के ऊपर पूरे परिवार का भरण पोषण का दायित्व है एवम् प्रार्थी के ऊपर कोई गम्भीर आरोप भी नहीं है एवम् प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की कोई कालाबाजारी नहीं की गयी है उसके बावजूद प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को बिना किसी उचित कारण के निरस्त कर दिया गया जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अतः जिला रसद अधिकारी, करौली द्वारा पारित विवादित आदेश दिनांक 14.12.2016 निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में अपीलार्थी द्वारा अपील को स्वीकार फरमाये जाने का निवेदन किया है।

अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोण्डेण्ट की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर शाामिल पत्रावली की गई।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलाण्ट ने अपील में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलकर्ता ग्राम पंचायत कटारा अजीज के 1/3 भाग, तहसील टोड़ाभीम जिला करौली के उचित मूल्य दुकान का अधिकृत डीलर है जिसका प्राधिकार पत्र संख्या 178/1981 है एवम् प्रार्थी द्वारा बिना किसी शिकायत के ईमानदारी से उचित मूल्य सामग्री का वितरण किया जाता रहा है। प्रवर्तन निरीक्षक, सपोटरा द्वारा दिनांक 28.11.2016 को प्रार्थी की दुकान की जांच की गई जिसमें पोश मशीन के ट्रांजेक्शन के अनुसार एक ही आधार कार्ड से ट्रांजेक्शन कर 9.05 क्विंटल गेंहूँ, 124 लीटर केरोसीन व 2.5 किलो चीनी के अवैध ट्रांजेक्शन कर दुरूपयोग करने का आरोप लगाया गया है। खाद्य विभाग द्वारा माह अप्रेल से पोश मशीन द्वारा रसद सामग्री के वितरण हेतु दिशा निर्देश दिये गये हैं लेकिन उपभोक्ता पखवाडे के दौरान ज्यादातर उपभोक्ता रसद सामग्री लेते समय आधार कार्ड लेकर नहीं आते हैं एवं केवल मात्र राशन कार्ड लेकर आते हैं। ऐसी स्थिति में भीड़ होने के कारण अपीलार्थी द्वारा माह अगस्त में उपभोक्ता पखवाडे के दौरान एक ही आधार कार्ड से उपभोक्ताओं को रसद सामग्री का वितरण कर दिया गया जिसमें अपीलार्थी की कोई बदनीयति नहीं थी। विभागीय निर्देशानुसार प्रार्थी को पोश मशीन का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए था लेकिन विभाग द्वारा प्रार्थी को इस बाबत् कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया एवं प्रार्थी को पूर्ण रूप से तकनीकी समझ नहीं होने के कारण उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ताओं को रसद सामग्री का वितरण किया जिसका इन्द्राज प्रार्थी द्वारा राशनकार्ड में कर दिया गया इस प्रकार प्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार से न तो कालाबाजारी की गई और ना ही रसद सामग्री का दुरूपयोग किया एवं पुलिस द्वारा अनुसंधान में भी प्रार्थी के विरुद्ध रसद सामग्री के दुरूपयोग को प्रमाणित नहीं मानते हुए नेगेटिव फाईनल रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 05.04.2018 को स्वीकार कर लिया गया है। अतः विवादित आदेश दिनांक 14.12.2016 निरस्त किये जाने योग्य है। जिला रसद अधिकारी, करौली द्वारा विवादित आदेश दिनांक 14.12.2016 से पूर्व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब को रिकार्ड पर नहीं लिया गया। राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य

जिला कलक्टर
करौली

आवश्यक वस्तु अधिनियम विनियमन आदेश 1976 की धारा 8(2) में यह उल्लेखित किया है कि No order of cancellation shall be made under this order unless the authorisation holder has been given a reasonable opportunity of stating his case against the proposed cancellation but during the pendency or in contemplation of proceeding of cancellation of authorization, the authorisation can be supended for a period not exceeding 90 days without giving any opportunity to the authorization holder of staring his case. अर्थात् राजस्थान खाद्यान्न एवम् अन्य आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राधिकार पत्र को निरस्त किये जाने से पूर्व प्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना आवश्यक है परंतु उक्त प्रकरण में जिला रसद अधिकारी, करौली द्वारा इकतरफा आदेश पारित किया है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के वितरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी के ऊपर लगाये गये सभी आरोप संभावनाओं पर आधारित हैं जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जब तक किसी ठोस एवम् पर्याप्त तथ्यों द्वारा किसी आरोप की पुष्टि नहीं हो जाती है तब तक उक्त आरोपों को सिद्ध नहीं माना जा सकता जबकि उक्त प्रकरण में जांचकर्ता द्वारा किसी भी उपभोक्ता के कोई बयान नहीं लिये हैं एवम् ना ही उपभोक्ताओं से पूछताछ की गई है। ऐसी स्थिति में कानूनी दृष्टि से उक्त आरोपों को सिद्ध नही माना जा सकता। प्रार्थी द्वारा दिनांक 10.08.2016 से 31.08.2016 तक उपभोक्ता पखवाडे के दौरान पोश मशीन द्वारा रसद सामग्री का वितरण किया है। खाद्य एवम् नागरिक आपूर्ति विभाग राज. सरकार द्वारा दिनांक 25.03.1994 को परिपत्र जारी किया गया जिसमें समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान को निर्देशित किया कि तकनीकी कमियों के आधार पर व्यापारियों के विरुद्ध मुकदमे नहीं बनाये जायें। उक्त परिपत्र जारी करने के पीछे सरकार की यह मन्शा रही है कि अनावश्यक रूप से उचित मूल्य दुकानदारों के विरुद्ध तकनीकी एवम् छोटी–मोटी गलती के आधार पर प्रकरण दर्ज नहीं किया जावे। उक्त प्रकरण में भी प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई गबन एवम् कालाबाजारी नहीं की गई अपितु सद्भाविक रूप से उपभोक्ताओं को एक ही आधार कार्ड से रसद सामग्री का वितरण कर दिया गया जिसका इन्द्राज उपभोक्ताओं के राशन कार्ड में किया गया जो कि केवल मात्र तकनीकी अनियमितता कही जा सकती है। उक्त समस्त तथ्यों को जिला रसद अधिकारी, करौली द्वारा कन्सीडर नहीं कर अहम कानूनी भूल की है। प्रार्थी के ऊपर कोई गम्भीर आरोप भी नहीं है एवम् प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की कोई कालाबाजारी नहीं की गयी है उसके बावजूद प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को बिना किसी उचित कारण के निरस्त कर दिया गया जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने एवं जिला रसद अधिकारी, करौली द्वारा पारित विवादित आदेश दिनांक 14.12.2016 निरस्त फरमाये जाने का कथन किया है।

जिला रसद अधिकारी का बहस में कथन है कि प्रवर्तन अधिकारी सपोटरा द्वारा दिनांक 28.11.2016 को श्री रामहरी गुर्जर उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत कटारा अजीज 1/3 की जांच के दौरान 9.05 क्विं. गेंहूं, 124 लीटर केरोसीन व 2.5 किलो चीनी का अवैध रूप से एक ही आधार कार्ड से फर्जी ट्रांजैक्शन कर राशन सामग्री का दुरूपयोग

जिला कलक्टर
करौली

पाये जाने पर प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर श्री रामहरी गुर्जर के विरुद्ध पुलिस थाना बालघाट में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 250/16 दर्ज करवाई जाकर श्री रामहरी गुर्जर का प्राधिकार पत्र दिनांक 30.11.2016 को निलंबित किया जाकर सुनवाई, साक्ष्य एवं सबूत प्रस्तुत करने हेतु कारण बताओ नोटिस दिया गया जिसमें नियत पेशी दिनांक 14.12.2016 तक श्री रामहरी गुर्जर द्वारा कोई जबाव, साक्ष्य एवं सबूत प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण श्री रामहरी गुर्जर को राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 6 तथा इसके तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2, 5, 11, 17सी एवं 18 का स्पष्ट उल्लंघन पाये जाने पर श्री रामहरी गुर्जर की अमानता राशि 1000/– रुपये जब्तराज की जाकर श्री रामहरी गुर्जर का प्राधिकार पत्र संख्या 178/81 निरस्त कर दिया। वर्तमान में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 250/16 में अदमवकू (तथ्यों की भूल) में अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिये जाने के कारण अपीलार्थी की सप्लाई चालू करने में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

बहस उभयपक्ष एवं पत्रावली का अवलोकन कर मनन किया गया। अनुसंधान अधिकारी ने अपने प्रतिवेदने में उल्लेख किया है कि जांच के दौरान पाया गया है कि करौली जिले में पोस मशीन से सितंबर 2016 से वितरण आवश्यक किया गया है जबकि उक्त वितरण सितंबर 2016 से पूर्व के हैं तथा जिन उपभोक्ताओं के राशन कार्ड में एक ही आधार कार्ड से ट्रांजैक्शन किये हैं उनके राशन कार्ड में उस सामग्री का इन्द्राज है एवं उपभोक्ताओं ने राशन सामग्री प्राप्त कर ली है। इस प्रकार सितंबर 2016 से पूर्व पोस मशीन के बिना एवं अशुद्ध तरीके से की गई राशन सामग्री वितरण में श्री रामहरी गुर्जर उचित मूल्य दुकानदार कटारा अजीज 1/3 भाग द्वारा कोई कालाबाजारी नहीं की गई है। अतः सितंबर 2016 से पूर्व पोस मशीन से अशुद्ध रूप से राशन सामग्री का वितरण होने तथा उपभोक्ताओं द्वारा राशन सामग्री प्राप्त कर लेने तथा उनके राशन कार्ड में प्राप्त राशन सामग्री का इन्द्राज होने से हम अपील को स्वीकार किया जाना एवं जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.12.2016 को अपास्त किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील, अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.12.2016 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण जिला रसद अधिकारी करौली इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में पुनः गुणावगुण के आधार पर यथाशीघ्र निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.12.2018 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(अभिमन्यु कुमार)
जिला कलक्टर
करौली